Rural and Urban Devlopment

MSW- SEM-IV

Prof. Gurnam Singh
Professor & Head
Department of Social Work
University of Lucknow, Lucknow

ग्रामीण एवं नगरीय विकास (Rural and urban Devlopment)

ग्रामीण विकास

भारत गांवों में बसता है यहां की 3/4 से अधिक जनता गांवों में ही रहती है। गांवों के जीवन की अपनी कुछ विशेषताएं है। विशेषताओं के गुण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कतिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक सभी क्षेत्रों में विद्यामान है जनसंख्या के इतने बडे भाग की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का प्रभावपूर्ण समाधान किए बिना ही कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को किसी प्रकार भी पूरा नहीं कर सकते यही वजह है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद से ही एक ऐसी बृहद योजना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि के पिछडेपन तथा रूढिवादिता जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

भारत में ग्रामीण विकास के लिए यह आवश्यक था कि कृषि की दशाओं एवं दिशाओं में सुधार किया जाए। सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को बदला जाएं, आवास की दशाओं में सुधार किया जाए किसानों को कृषि योग्य भूमि प्रदान की जाए। जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर बेहतर किया जाये एवं दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना कियान्वित की गई। इसकी सफलता पर 1952 में भारत एवं यू.एस.ए. में समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत के ग्रामीण विकास हेतु है यू.एस.ए. के द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा 1952 में ही 2 अक्टूबर से 55 विकास खण्डों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरम्भ किया गया। कृषि को इस व्यापक कार्यक्रम का आधार बनाया गया। भूमि सुधार, साख व्यवस्था, ज्ञान एवं विज्ञान के लाभों और उपलब्धि को किसानों के दरवाजे तक पहुचाने की योजना बनी। इस दिशा में सहकारिता आन्दोलनों ने भी सहायक भूमिका निभाई।

ग्रामीण विकास का अर्थ

शाब्दिक रूप से ग्रामीण विकास का अर्थ समुदाय का विकास या प्रगति है। सामान्यतः ग्राम्य विकास को सामुदायिक विकास का पर्याय समझा जाता रहा है। योजना आयोग के प्रतिवेदन में सामुदायिक विकास के अर्थ को स्पष्ट हुए यह कहा गया है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करक ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है।

इसके उद्देश्य में भारत सरकार ने इस योजना के आठ उद्देश्यों को स्पष्ट किया है।

1. गांव में उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व का विकास।
2. ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन।
3. आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशीलता।
4. ग्रामीण शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखना।
5. ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना।
6. कृषि का आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास।
7. ग्रामीण स्त्रियों एवं परिवारों की दशा में सुधार।
8. राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवाओं के समुचित व्यक्तित्व का विकास।

इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यदि व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की सोई हुई क्रान्तिकारी शक्ति को जागृत करना है। परिणामस्वरूप समुदाय वैचारिक एवं क्रियान्वयन के स्तर पर विकासशील हो और अपनी सहायता स्वयं कर सके।

ऐसी मान्यताएं हैं कि ग्रामीण विकास योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। उद्देश्य प्राप्ति हेतु जनसहभागिता केवल प्रेरणा का परिणाम हो। ऐसी योजनाएं पूर्णतया नौकरशाही व्यवस्था द्वारा संचालित न हो इसकी बागडोर ग्रामीण समुदायों को ही दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास का संगठन

आरम्भ में यह भारत सरकार के योजना मंत्रालय से सम्बद्ध था परन्तु कालान्तर में इसका समावेश कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में हो गया वस्तुस्थिति यह है कि

सामुदायिक विकास योजना का संगठन तथा संचालन केन्द्र स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विकसित है। मुख्यतः इसे पांच भागों में बांटा जा सकता है।

1. केन्द्र स्तर पर

इस योजना की प्रगति तथा नीति निर्धारण के लिए एक विशेष सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। कृषि मंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य इस समिति के भी सदस्य होते हैं इसी स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति भी होती है जिसके सदस्य लोकसभा के कुछ मनोनित सदस्य होते हैं। यह सलाहकार समिति योजना की नीति एवं प्रगति के विषय में परामर्श करती रहती है।

2. राज्य स्तर पर

इस विकास कार्यक्रम को संचालित करने का वास्तविक दायित्व राज्य सरकारों का है यहां एक विकास समिति होती है जिसकी अध्यक्षता उस राज्य का मुख्यमंत्री करता है और समस्त विकास विभागों के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। विकास आयुक्त इस समिति का सचिव होता है। विकास आयुक्त को परामर्श देने के लिए राज्य विधायिका के कुछ मनोनित सदस्यों की एक समिति होती है।

3. जिला स्तर पर

इस योजना का दायित्व जिला परिषद का है जिला परिषद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिसमें पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष तथा लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य सम्मिलित हैं। इस योजना को संचालित करने का कार्य जिला नियोजन समिति का है जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है।

4. खण्ड स्तर पर

विकास खण्ड के प्रशासन के लिए प्रत्येक खण्ड में एक खण्ड विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा इनकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी होते हैं। खण्ड स्तर पर नीतियों के निर्धारण तथा योजना के संचालन का दायित्व क्षेत्र पंचायत का होता है। सरपंच ग्राम्य पंचायतों के अध्यक्ष स्त्रियों, एस.सी., एस.टी. का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति इस स्तर की क्रियान्वयन समिति के सदस्य होते हैं।

5. ग्राम स्तर पर

इस स्तर पर योजना के कियान्वयन का दायित्व ग्राम पंचायत का होता है लेकिन इस स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सेवकों की होती है। साधारणतया 10 ग्रामों के लिए एक ग्राम सेवक को नियुक्त किया जाता है।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम

सामुदायिक विकास के कार्यक्रम अत्यंत व्यापक है। जिनमें समाज के सभी अंग सम्मिलित होते हैं। कृषि से लेकर समाज सेवा का कार्यक्रम सामुदायिक विकास का ही हिस्सा है। इन सभी कार्यक्रमों में कृषि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है।

1. **कृषि**

इसके लिए कृषि विकास, ऊसर भूमि का कृषि के उपयोग में लाना, उन्नत बीज, पशुपालन विकास एवं सहान खेती कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है।

2. **सिंचाई**

कृषि के अधिक उत्पादन के लिए लघु सिंचाई साधन जैसे तालाब, नहर, नलकूप इत्यादि कार्यों पर जोर दिया जाता है।

3. **शिक्षा**

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम सामाजिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा इसके महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए। बेसिक शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन देना एवं ग्रामीणों में जागरूकता लाने की व्यवस्था आवश्यक है।

4. **स्वास्थ्य**

ग्रामीण जनता के स्वास्थ का स्तर बहुत निम्न है। इनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। अतः ग्रामीण जनता की व्यापक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना भी इसके उद्देश्यों में प्रमुख था। खण्ड स्तर पर चिकित्सा केन्द्र की स्थापना, पेयजल की सुचारू व्यवस्था, संक्रामक रोगों जैसे चेचक, मलेरिया, हैजा के इलाज व रोकथाम की व्यवस्था करना।

5. **संचार**

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधनों को विकसित करना एवं ऐसी सडकों का निर्माण करना कि कोई भी ग्राम मुख्य सडक से दूरी पर न रहे।

6. **रोजगार**

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं कम रोजगारी की समस्याओं को ऐसे उद्योग–धंधों के विकास द्वारा दूर करना जिनसे स्थानीय जनता को साल मे अधिक से अधिक समय काम में लगाया जा सके।

7. आवास

इसके अन्तर्गत उन्नत आवास की व्यवस्था, नई आवासीय बस्तियों का विकास आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं।

8. समाज कल्याण

सामुदायिक विकास के अन्तर्गत समाज कल्याण कार्यक्रम की वे सेवाऐं शामिल की गई हैं जो मनोरंजन सामुदायिक मनोविनोद एवं सामुदायिक मेलों आदि से सम्बंधित है।

9. प्रशिक्षण

इस आन्दोलन को देहात में ले जाना एवं उसको ग्रामीण जनता द्वारा अपनाना एक कठिन एवं विशिष्ट कार्य है। इससे सम्बंधित कार्यकर्ताओं को सम्बंधित ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है।

ग्रामीण विकास के उद्देश्य

डा. डगलस एसमिगर ने ग्रामीण विकास के सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य बताये हैं :

ये उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. ग्रामवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।
2. उत्तरदायी तथा प्रत्युत्तर पूर्ण ग्रामीण नेतृत्व संगठन तथा संस्थाओं का विकास करना।
3. ग्रामवासियों को इस प्रकार विकसित करना कि वे स्वावलम्बी तथा उत्तरदायी नागरिक बन सके तथा एक नवीन भारत के निर्माण में प्रभावी ढंग से ज्ञान तथा सूझबूझ का योगदान दे सकें।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम : एक सिंहावलोकन

1952 में प्रारम्भ किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारतवर्ष में ग्राम्य विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों तथा किए गए प्रयोगों पर आधारित था। ग्राम्य विकास का सम्भवतः प्रथम प्रयोग 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा श्री निकेतन परियोजना के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त 1920 के अन्त में एफ.एल.ब्रेन द्वारा संचालित गुडगांव परियोजना, 1921 में यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा कन्याकुमारी जिले में चलाई गई मार्टैन्डम परियोजना, 1932 में बी.टी. कृष्णाचारी द्वारा डा. स्पेंसर हैच के सहयोग से

चलाई गई बडोदा परियोजना, 1936 में महात्मा गांधी द्वारा वर्धा में क्रियान्वित की गई सेवाग्राम परियोजना, 1948 में एस.के.डी. द्वारा चलाई गई नीलोखेडी परियोजना तथा इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में श्री एलबर्ट मेयर द्वारा इटावा परियोजना का उल्लेख किया जा सकता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से इटावा परियोजना पर आधारित था यह परियोजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अग्रगामी परियोजना कहलाती है जिसके प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार रखे गए :

1. उत्पादन, सामाजिक महत्व, पहल, लोगों के आत्म विश्वास तथा सहयोग इत्यादि की दृष्टि से कृषि के विकास के स्तर को आंकना।
2. इस बात का पता लगाना कि कितन जल्दी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
3. यह ज्ञात करना कि क्या इस कार्यक्रम विशेष के बन्द किए जाने के बाद भी इसके परिणाम लोगों में स्थायी रह सकते हैं।
4. यह निर्धारित करना कि परियोजना के परिणाम देश के अन्य भागों में कहां तक दोहराये जा सकते हैं।

ग्राम्य विकास कार्यक्रम के आधार

इसके दो प्रमुख आधार रखे गए :

1. ग्रामीण समुदाय के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक तकनीकी तथा अन्य सेवाओं के सहयोग के साथ–साथ व्यक्तियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए, तथा
2. गांवों के विकास की समस्या को सुलझाने के लिए सम्पूर्णता के अभिगम को अपनाते हुए कार्य किया जाना चाहिए जिसमें समस्या के समस्त आयामों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख घटक

1952 में चालाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख घटक निम्नलिखित थे

(I) कृषि तथा इससे सम्बन्धित विषय

1. उपलब्ध किन्तु प्रयोग न की जा रही बंजर भूमि का सुधार।
2. ग्राम विद्युतीकरण का विकास।
3. रासायनिक खादों की व्यवस्था।
4. उत्तम किस्म के बीजों की व्यवस्था।

5. उन्नत कृषि तकनीकों का विकास तथा भूमि का पूर्ण सदुपयोग।
6. पशु चिकित्सा की व्यवस्था।
7. कृषि संबंधी तकनीकी सूचना, सामग्री तथ बुलेटनों की व्यवस्था।
8. वृक्ष लगाने के साथ–साथ पेडों के रख–रखाव की व्यवस्था करना।

(II) सिंचाई

इसके अन्तर्गत नहरों, नलकूपों, कुओं, तालाबों इत्यादि के माध्यम से खेती के लिए पानी की व्यवस्था करना।

(III) परिवहन

1. सडकों की व्यवस्था।
2. आवागमन के साधनों में वृद्धि।
3. पशुओ को इधर उधर ले जाने की सुविधाओं का विकास सम्मिलित थे।

(IV) स्वास्थ्य

1. सफाई तथा जन स्वास्थ्य उपायों की व्यवस्था।
2. मलेरिया तथा अन्य बीमारियों पर नियंत्रण।
3. पीने के पानी की व्यवस्था।
4. बीमारी के लिए चिकित्सा सहायता।
5. गर्भवती माताओं की देखभाल तथा प्रसूति संबंधी सेवाओं।
6. सामान्यीकृत लोक स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा को रखा गया।

(V) पूरक रोजगार

इसके प्रमुख घटक इस प्रकार थे :

1. मुख्य अथवा गौण व्यवसाय के रूप में कुटीर उद्योगों तथा शिल्पों को बढावा देना।
2. स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अथवा परियोजना से बाहर के क्षेत्रों के व्यक्तियों को रोजगार में लगाने के लिए मध्यम तथा लघु उद्योगों को बढावा देना।
3. व्यापार तथा कल्याण सेवाओं के माध्यम से रोजगार को बढावा देना।
4. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवन निर्माण सामग्री प्रदान करने के लिए ईटों तथा आरा मशीनों की व्यवस्था करना।

उपरिलिखित कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों तथा स्थितियों में सुधार लाने के लिए चलाए गए। मुख्य रूप से ये कार्यक्रम गरीब व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को

बढाने के लिए चलाए गए। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है :

ग्राम विकास (पंचायती राज)

73वाँ संशोधन अधिनियम,1992

संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम,1992 के पारित होने से संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे में एक नये युग का सूत्रपात हुआ है और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तरांचल को छोडकर लगभग सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो ने अपने कानून बना लिये हैं। इसके अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने चुनाव करवा लिये हैं। परिणामस्वरूप, देश में ग्राम स्तर पर 2,32,278 पंचायतों, मध्य स्तर पर 5,906 पंचायतों और जिला स्तर पर 499 पंचायतो के चुनाव करवा लिए गये हैं। ये पंचायतें सभी स्तर के लगभग 29.2 लाख चुनें हुये प्रतिनिधियो द्वारा संचालित की जा रही है इस प्रकार यह एक अत्यधिक व्यापक प्रतिनिधि आधार है जो विश्व के किसी भी विकसित अथवा अल्प विकसित देश में विद्यमान नही है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

रोजगार योजना वर्ष 1989 में शुरू किये गये प्रमुख मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में से एक था जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम नामक दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का विलय करके बनाया गया था। यह पंचायती राज संस्थाओं के जरिये देश में सभी गाँवो में कार्यान्वित एक सबसे बडा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था। इसने टिकाऊ स्वरूप की ढाँचागत सुविधाओं के सृजन में काफी हद तक योगदान भी दिया है जिसका ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास में काफी महत्व है, इससे ग्रामीण गरीबों के जीवन के स्तर में सुधार हुआ। जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना दोनो के परिणामस्वरूप स्कूल भवनो, सडको तथा अन्य ढाँचागत सुविधाओ के रूप में टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन हुआ। तथापि इन कार्यक्रमों के अर्न्तगत मजदूरी रोजगार के सृजन को काफी प्राथमिकता दी गई थी तथा यह प्रयास था कि रोजगार सृजन की प्रकिया में टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियां भी सृजित हों।

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जैसे– जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, समग्र आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, एस.जी.एस.वाई, जे.जी.एस.वाई., आई.ए.वाई, एन.एस.ए.पी. आदि।

नगरीय विकास या कल्याण

नगरीकरण की तीव्र प्रक्रिया ने हमारी सामाजिक, आर्थिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था को इस सीमा तक प्रभावित किया है कि हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आयाम ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य भी परिवर्तित हो गए हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया ने जहां एक ओर परम्परागत संकीर्ण मूल्यों, व्यवहारों व मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाकर जीवन को आधुनिक सुख–सुविधा युक्त व आरामपूर्ण बनाया है वहीं दूसरी ओर समस्याओं की लम्बी कतार खडी कर दी है। भूमि तथा आवास की कमी, जनसुविधाओं, पीने के पानी, स्वच्छता व सफाई सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय परिवहन आदि पर भारी दबाव, गंदी व मलिन बस्तियों में बढोत्तरी, मनोरंजन स्थलों का अभाव, व्यक्तित्व व पारिवारिक विघटन, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी मानसिक तनाव व चिन्ता, प्रदूषण आदि न जाने कितनी ही ऐसी समस्याओं को इसने जन्म दिया है जिससे आज का नगरीय समूदाय जूझ रहा है। यदि बडे पैमाने पर देखा जाए तो संकट, भ्रष्टाचार, जमाखोरी, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय धन का असमान वितरण, औद्योगिक झगडे, हिंसा, गतिशीलता में वृद्धि, धर्ममहत्वहीनता, सामुदायिक विघटन आदि समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान की विभिन्न शाखाएं व संस्थाएं अपनी–अपनी सीमाओं में अपने तरीकों से प्रयास कर रही हैं। नगरीय कल्याण का उद्देश्य प्रत्येक नगरवासी की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति, उत्तम स्वास्थ्य, संतोषप्रद जीवन–निर्वाह स्तर के अतिरिक्त सहनागरिकों के साथ सामाजिक सामंजस्य, उचित पर्यावरण, उपयुक्त जनसुविधाओं तथा मनोरंजनयुक्त जीवन के अवसर प्रदान करना है। नगर एक ऐसा जनसमुदाय है जिसकी अपनी कुछ सामाजिक विशेषताएं होती हैं। जैसे घनी आबादी, व्यापार, उद्योग, द्वितीयक संबंध एवं नियंत्रण वैयक्तिक सम्बन्ध आदि। नगरीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त प्राचीन है और यह एक ऐसी क्रमिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय के जीवन में नगरीय विशेषताओं का विकास होता है। नगरीकरण से प्रायः तात्पर्य नगरीय वृद्धि या नगरीय विकास से लगा लिया जाता है

जबकि वास्तव में इनके अर्थ भिन्न है। नगरीकरण नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का कुछ प्रतिशत या भाग है। जिसका अर्थ है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तो ग्रामीण जनसंख्या में समानुपातिक कमी है। नगरीकरण, औद्योगीकरण का परिणाम व कारण दोनों ही है। इस रूप में भी ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर बस जाना नगरीकरण है जबकि नगरीय वृद्धि से तात्पर्य नगरीय जनसंख्या के पूर्ण आकार में होने वाली प्रतिशत वृद्धि से है।

नगरीकरण के कारक

नगरीकरण प्रक्रिया की तीव्र गति तथा नगरों की संख्या में वृद्धि के प्रमुख कारक निम्न हैं :

1. ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन।
2. नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि।
3. पूर्व ग्रामीण बस्तियों का नगरों में वर्गीकरण।

ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन

इसके निम्नलिखित कारण है :

- दाब एवं आकर्षक तत्व।
- कृषिगत समृद्धि के कारण प्रवास।
- कस्बों से नगरों की ओर पलायन।
- औद्योगीकरण।
- यातायात साधनों का विस्तार।
- जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि।
- नगरीय क्षेत्रों का पुनः वर्गीकरण।
- जनसंख्या विस्फोट।

नगरीकरण की चुनौतियां

नगरीकरण अनेक समस्याओं तथा गंदी बस्तियों, अस्वच्छता, पर्यावरणीय प्रदूषण, आवास, जल, विद्युत, यातायात एवं चिकित्सकीय सहायता के अभाव को जन्म देता है। भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं एवं चुनौतियों का वर्णन निम्नलिखित है–

1. **आवास का आभाव**

जनसंख्या की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में आवास व्यवस्था का महत्व भोजन एवं वस्त्र के तुरंत बाद है। आवास योजना के अनेक मौलिक उद्देश्यों आवास की व्यवस्था करने जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करना, विशेष तौर पर जनसंख्या के निर्धन समूहों के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुचारू दवाएं उत्पन्न करने, पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार एवं विविध आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न करने एवं उनकी पूर्ति में सहायता देती है। दुर्भाग्य का विषय है कि एक ओर तो शहरी मकानों की कमी से है वहीं दूसरी ओर मकान की जर्जर अवस्था सघनता, बनावट, संरचना और बनावट का स्तर और भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भीड–भाड, घुटन, उच्च मूल्य, झुग्गी–झोपडी एवं उपयोगी बस्तियों का निर्माण तथा सम्पूर्ण सजीव पर्यावरण की गुणवत्ता में तीव्रपतन, द्रुत जनसंख्या में वृद्धि, अपर्याप्त निवेश, व्यापक निर्धनता आवास संकट के कुछ प्रमुख कारण हैं।

आवास की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक दोनों दृष्टि से पूर्ति बढाने अर्थात लाखों को शरण देने एवं आवश्यकता आधारित उपयुक्त मकानों की व्यवस्था करने में सफलता की कुंजी आवश्यक आवासीय निवेशों को सुनिश्चित करने में हैं। इन निवेशों में सम्मिलित भूमि निर्माण सामग्री, वित्त एवं सेवाएं राज्य भूमि की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करें सभी नगर निवासियों को आधारिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक सेवाओं के मामले में समान सेवा दी जाए एवं स्थानीय निकायों को तदर्थ–समर्थ बनाया जाए , आवास वित्त अभिकरणों की उचित प्रकार से संरचना की जाए जो निर्धन लोगों तक पहुंच सके, कम लागत वाली निर्माण सामग्रियों के उत्पादन को बढाया जाए तथा एक प्रभावी आवास नीति जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी के लिए न्यूनतम आवश्यक आवास व्यवस्था को पूर्व शर्त बनाया जाए।

2. मलिन बस्तियां

गन्दी व मलिन बस्तियां विश्व के लगभग अधिकांश शहरों में किसी न किसी रूप में पायी जाती है। गन्दी बस्तियां जहां विकासशील देशें में अनियोजित या आंशिक नियोजित विकास को दर्शाती हैं। वहीं विकसित देशों में वहां के जीवन स्तर में गिरावट की ओर इंगित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन गन्दी बस्तियों को अस्थाई अनियोजित मकानों का एक समूह या कोई क्षेत्र या कोई ऐसा भाग माना है जहां काफी लोगों की भीड रहती हो और जन स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव वहां के निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा तथा

नैतिकता को खतरा उत्पन्न करता हो। इन बस्तियों में लोग घुटन भरी भीड, तंग तथा बेतरतीब ढंग से बनाई गई झोपडियों में रहते हैं और स्वास्थ्य, सफाई, शौचालय पीने का पानी आदि सुविधाओं के अभाव में अतिरिक्त निवासियों का जीवन स्तर इतना निम्न होता है कि वे स्वयं वैयक्तिक विकास व सामुदायिक जीवन में भाग लेने में स्वयं में असमर्थ पाते हैं।

इन बस्तियों के विकास का मुख्य कारण आर्थिक है। इन बस्तियों में श्रमिक, मजदूरी और निम्न आय समूह वाले व्यक्ति जिनके पास मुख्य समस्या रोटी, कपडा की होती है निवास करते हैं। मकानों की अपर्याप्त संख्या भी इस समस्या को प्रोत्साहित करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन के साधन, खेलने के मैदान की बात तो दूर इन बस्तियों में पीने का पानी, हवा, प्रकाश, शौचालय, गन्दे पानी के निकास आदि आधारभूत आवश्यकताओं की भी व्यवस्था नहीं होती। आस–पास का वातावरण दुर्गन्धयुक्त और प्रदूषित होता है। फलस्वरूप तपेदिक, दमा, पेट की बीमारियां व सहायक रोग पेचिस जैसे गंभीर रोग पनपते हैं। वास्तव में ये रोग अनैतिकता तथा अपराधों के केन्द्र होते हैं। नशा, जहुआ, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति आदि सामाजिक बुराइयां भी इन बस्तियों में पलती हैं। इन सबके फैलने या बढने का कारण अज्ञानता, औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या में वृद्धि, गतिशीलता, मकान मालिकों द्वारा उपेक्षा, प्राकृतिक आपदायें आदि है। इसके कई दुष्परिणाम निकलते हैं तथा सामाजिक जीवन पर अत्यन्त ही बुरा प्रभाव पडता है। इसके सामाजिक दुष्परिणाम जैसे व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, राष्ट्रीय विघटन, नैतिक पतन, अज्ञानता को प्रोत्साहन , खराब स्वास्थ्य तथा बीमारियां आदि हैं। इन मलिन बस्तियों को कम करने तथा लोगों की जिन्दगी तथा रहन–सहन में सुधार लाने की आवश्यकता है। अतः इसके लिए निम्न बातों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है–जनसंख्या पर रोक, रोजगार सुविधाओं में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाओं का विस्तार, कृषि की उन्नति, पर्याप्त मजदूरी, सहकारी समितियों की स्थापना, गन्दी बस्तियों की सफाई, श्रमिक बस्यिों का निर्माण तथा नगर नियोजन। इस प्रकार इन सब बातों पर ध्यान देते हुए नगरों को वैज्ञानिक सुविधाओं के अनुरूप नियोजित करके गंदी बस्तियों को समाप्त किया जा सकता है।

3. नगरीय सुविधाओं का भार

किसी भी शहर या कस्बे में पीने के पानी, शौचालय, गन्दे पानी के बहाव की व्यवस्था, बिजली, प्रकाश, खेलने के पार्क, कूडा करकट के निस्तारण आदि की उचित व्यवस्था वांछनीय होती है। जनोपयोगी, जनसुविधाओं को प्रदान किया जाना तथा प्रबन्ध नगरीय प्रशासनिक संस्थानों के माध्यम से होता है। स्वच्छता, सफाई सेवाओं, पर्यावरणीय परिस्थितियों तथा आधारभूत सेवाओं की स्थिति देश में संतोषजनक नही है। जन सुविधाओं की समस्यांएँ मकानो की पुरानी संरचना तथा इनका निम्न स्तर होने के कारण और गम्भीर होती जा रही है। इसके अतिरिक्त मुहल्ले और कालोनियों में सडकें नालियाँ तथा गलियों में प्रकाश की समस्या है। सार्वजनिक शौचालय, स्नानागार, खेलकूद के लिए पार्क, आवागमन के लिए खुली सडके तथा रास्ते, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था तथा उच्च सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव महानगरों से लेकर छोटी श्रेणी के शहरों में सामान्य बात है।

4. यातायात की अव्यवस्थित वृद्धि

सभी प्रमुख नगरों मे यातायात की भीड पायी जाती है। इसके उत्तरदायी कारण स्पष्ट तथा छोटे स्थान पर अत्यधिक लोगो एवं गति विधियों का सकेन्द्रीकरण एवं कार्य स्थानों पर निवास स्थानो के मध्य अदक्ष संबंध हैं पिछले दो दशकों में स्थिति और भी बिगडी है। समेकित नीति एवं समन्वित उपागम की अनुपस्थिति के कारण अन्तर नगर यातायात में अव्यवस्थित ढंग से वृद्धि हुयी है जिसमें दीर्घकालीन किसी भावी योजना पर विचार नही किया गया है एवं फलस्वरूप नगरों में भीड एवं गम्भीर संकट उत्पन्न हो गए हैं। नगरीय यातायात प्रणाली को अनुकूलतम प्रकार से तभी विकसित किया जा सकता है जब यातायात एवं भूमि प्रयोग नियोजन का इकटठा परीक्षण किया जाए।

5. नगरीय भूमि की दुर्लभता

भारत में नगरीकरण की अत्यधिक भयानक विशेषतया भूमि की अति दुर्लभता है जो मंहगी होने के कारण साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर है। भूमि की अल्पता के कारण विक्रेता एवं क्रेता दोनो कानून का उल्लंघन करते हैं। काले धन की वृद्धि हुयी है, भ्रष्टाचार घोर रूप धारण कर गया है एवं नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है उपनिवेशक व्यक्ति जरूरत मंद लोगों को लूटकर अपार लाभ अर्जित कर रहें हैं अनिवार्यतः निर्धन लोग इस प्रवृत्ति से अत्यधिक प्रभावित हुये हैं जिन्हें क्षमतायुक्त मूल्यों पर कानूनी संस्थाकृत एवं सरल ढंग से भूमि प्राप्त नही हो सकती तथा जिन्हें गैर कानूनी ढंग से

अवैध कब्जा करना पडता है। जिसके परिणामस्वरूप झुग्गी झोपडियों का विकास होता है जहाँ साधारण नगरीय सुविधाएं भी उपलब्ध नही होती एवं जो मानव सम्मान पर अत्यधिक पाशविक दुरूपयोग है।

6. प्रदूषण पर रोक

नगरीकरण की गम्भीर चुनौती जल, वायु, ध्वनि एवं ठोस जल के प्रदूषण से है। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के अनुसार प्रदूषण किसी ठोस, तरल एवं रसायनिक पदार्थ का इतनी मात्रा में पाया जाना है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। औद्योगिक मल निकास, म्यूनिसिपल मल निकास एवं कृषि रसायन जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। विश्व स्वास्थ्य संध के अनुमानो के अनुसार संसार में सर्वाधिक रोगों का कारण जल प्रदूषण है। उद्योगों, वाहनो द्धारा उत्पन्न प्रदूषित वायु में दीर्घकाल तक श्वास लेने से विविध रोग तथा फेफडों का कैंसर, न्यूमोनिया, अस्थमा ब्रोकइटिस तथा समान्य जुकाम हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण से रक्त वाहिनियाँ सिकुड जाती है जससे उच्च रक्त चाप हो जाता है एवं जो मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। प्रदूषण से पशुओ, पक्षियों एवं जल में रहने वाले जानवरों फसलों एवं सब्जियों को भी गंभीर हानि होती है। ठोस कचरा एवं कूडा करकट से अनेक प्रकार के जीवाणुओं को जन्म देते एवं पोषित करते हैं। घुमक्कड कुत्तों को आकर्षित करते हैं एवं भूमिगत जल तथा भूतल को प्रदूषित करते है। पिछले दो दशकों में औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक कचरा उत्पन्न हो रहा है जो कृषि के लिए प्रयोग किये जाने वाले भूमिगत जल एवं मिटटी को प्रदूषित करता है।

7. रोजगार अवसरों का अभाव

नगरीय क्षेत्रों को प्रवासी व्यक्ति वहाँ पर रोजगार पाने की आशा से जाते हैं परन्तु जब उन्हे अपनी योग्यताओं एवं कौशल के अनुरूप रोजगार नही मिलता तो उन्हें निराशा होती है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवक चपरासी एवं रिक्शा वाहक के रूप में कार्य करते देखे जा सकते हैं। यद्यपि निम्नवर्गीय एवं अशिक्षित प्रवासियों के नगरों में भवन निर्माण कार्यो एवं कारखानों में श्रमिक के रूप में रोजगार मिल जाता है परन्तु अर्द्धशिक्षित व्यक्तियों को जिन्हें रोजगार प्राप्त नही होता गैर स्वाभाविक तत्वों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि तथा आन्दोलनों के दौरान लूटमार करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम

इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है :

1. **नगरीय विकास**

यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। केन्द्र सरकार का नगरीय कार्यक्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय नगरीय विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता करता है। इसके लिए यह मंत्रालय शहरी विकास संबंधित स्थूल नीति का निर्धारण करता है शहरी विकास से संबंधित संविधान संशोधनों संबंधी विधानों अन्य विधानों तथा नीति निर्देशकों का निर्माण करके राज्य को विधायी सहयोग उपलब्ध कराता है शहरी विकास से सम्बंधित केन्द्र विभिन्न संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई सहायता का अनुश्रवण करता है तथा योजनाबद्ध शहरीकरण के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराता है।

शहरी विकास से संबंधित किए गए प्रयास

(अ) राष्ट्रीय शहरी नीति निर्माण।

(ब) शहरी संदर्भ के संबंध में राष्ट्रीय कार्यबल का गठन।

(स) संविधान का चौहत्तरवां संशोधन (नगर पालिका अधिनियम) अधिनियम, 1992।

(य) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं नियमन अधिनियम, 1976।

(र) नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं।

(अ) छोटे तथा मंझोले शहरों के एकी कृत विकास की योजना।

(ब) महानगरों के लिए अधिसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।

(स) नगरीय मानचित्र योजना।

(द) बाहरी सहायता प्राप्त शहरी विकास योजनाएं।

(य) नगरीय नियोजन तथा प्ररचना में उच्च कोटि के कार्य हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना।

(ब) बीस सूत्री कार्यक्रम तथा मलिन बस्ती सुधार।

नगरीकरण प्रक्रिया को रोकने हेतु उपचारिक उपायों के बावजूद भी यह निरंतर बढता जा रहा है। नगरीकरण की प्रक्रिया को मोडने तथा नगरीय समस्याओं के समाधान में असफलता के निम्नलिखित कारण हैं :

1. जनसंख्या विस्फोट।
2. राष्ट्रीय नगरीकरण नीति की अनुपस्थिति।

3. राजनीतिक इच्छा का अभाव।
4. समूह का दबाव।
5. नगर नियोजन प्राधिकरणों के पास सांविधिक समर्थन का अभाव।
6. राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया में नगरीय विकास को निम्न प्राथमिकता।
7. केन्द्रीय सरकार की सीमित भूमिका।
8. राज्यों के पास वित्त का अभाव।
9. नगरीय निकायों का पुरातन संगठन।
10. राजनीति की भूमिका।

नगरीय विकास प्राधिकरण

नगरीय आयोजन एवं विकास तथा नगरीय सुविधाओं एवं जल आपूर्ति, मल निकास, प्रदूषण नियंत्रण नगरीय स्थानीय सरकारों के मौलिक कार्य हैं। परन्तु हमारे नगर पालिका निकाय इन कार्यों को निष्पादित करने में असमर्थ कहे जाते हैं अतएव राज्य सरकारें इन कार्यों के निष्पादन हेतु कुछ विशेष उ्देशीय संगठनों तथा सुधार न्यास, आवास बोर्डों, जल प्रदाय एवं मल निकास बोर्डों एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करता हैं। नगरीय संस्थाएं क्योंकि इनमें सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों का प्रभुत्व होता है। प्रजातंत्र के वर्तमान युग के काल दोष युक्त है। यद्यपि इसमें पर्याप्त धनराशि का अंशदान करते हैं परन्तु उनके ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता। इन कार्यों में घोर भ्रष्टाचार है। जहां कहीं भी इन सुविधाओं जैसे मल निकास, जल व्यवस्था आदि कार्य किए जाते हैं वहां इन सुविधाओं की दशा इतनी शोचनीय बन गयी है कि उनकी मरम्मत भी नहीं हो सकती एवं उनके स्थान पर नयी सुविधाओं की व्यवस्था करनी पडती है। इसकी समस्यों को खत्म करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने नगरीय विकास प्राधिकरणों को स्थापित किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ (Refrences)

1. अहमद रफीउद्दीन मिर्जा, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, शाइनिंग प्रेस लखनऊ, 2004
2. सिंह, सुरेन्द्र, पी.डी. मिश्र, समाज कार्य : इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियां, न्यू रॉयल बुक कम्पनी लखनऊ, 2010
3. मदन जी0आर., अमित अग्रवाल, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन दिल्ली, 2012
4. सिंह मंजीत, व्यावसायिक समाज कार्य का आविर्भाव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008
5. सिंह मंजीत, समाज कार्य के मूल तत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, 2008
6. भारत 2011, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली।

7- Friedlander, W.A., Introduction to Social welfare.